संख्या-21/2024/सा-3-350/दस-2024/328(21)/2024

प्रेषक,

विजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 अगस्त, 2024

विषय:- तदर्थ/वर्कचार्ज/दैनिक वेतन/अंश कालिक/मस्टर रोल/ सीजनल रूप में की गयी सेवाओं को आगणित करते हुए पेंशनरी लाभ दिये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं/अवमाननावादों में प्रतिवाद करने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि "उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021" के अनुसार तदर्थ/वर्कचार्ज/दैनिक वेतन/अंश कालिक/मस्टर रोल/ सीजनल रूप में की गयी सेवायें पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित नहीं की जा सकती । इस विषय के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में कतिपय रिट याचिकायें योजित हैं जो **रिट याचिका संख्या**-1458/2020 **अराजपत्रित कर्मचारी संघ, भूगर्भ जल विभाग बनाम मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन** के साथ सम्बद्ध हैं, जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है । इन याचिकाओं में उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जो सेवाए (तदर्थ/वर्कचार्ज/दैनिक वेतन/अंश कालिक/मस्टर रोल/ सीजनल) अर्हकारी सेवा की परिभाषा में नहीं आतीं, उन्हें अर्हकारी सेवा मानते हुए पेंशन स्वीकृत किये जाने का प्रश्न निहित है

2- इस क्रम में यह भी अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या- **(C)** -23912/2020 जय प्रकाश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ संबंध 50 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ की मा0 **Double Bench** द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2023 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

"3. It is not in dispute that the subject matter of the present writ petitions and the matter before the Hon'ble apex court fixed on 3rd October, 2023 is one and the same i.e. the validity of U.P. Act No.1 of 2021 which was previously brought in through an Ordinance giving rise to the writ petition before the apex court under Article 52 of the Constitution of India.

4. Simultaneous proceedings before this Court and Hon'ble apex court on one and the same subject can not proceed for the reason that the time frame within which the courts of law function is a public property and its use can't be allowed to achieve futile results. We have no manner of doubt that this Court is bound by the decision of Hon'ble the apex court on the same issue.

5. The question that arises is whether the Court may proceed or discharge the proceedings under some protection to the petitioners. It is to be noted that the consequences which are to fall as a result of pending proceedings before the apex court are clear. The vires of the Act shall either be upheld or turned down. In case the vires of the impugned Act is upheld, all the writ petitions in that event are liable to be dismissed and on the result of proceedings being otherwise, the writ petitioners shall be entitled to the benefit of the judgment accordingly and the State shall obey the verdict in favour of the petitioners to the extent applicable.

6. Having clarified the position as above, we hereby dispose of the present bunch of writ petitions accordingly and the protection so granted shall mutatis mutandi apply. We equally leave it open to the parties to avail the opportunity of hearing before the apex court, if so advised.""

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित ऐसी रिट याचिकाओं/अवमाननावादों जिनमे याचीगण द्वारा तदर्थ/वर्कचार्ज/दैनिक वेतन/अंश कालिक/मस्टर रोल/ सीजनल रूप में की गयी सेवायें को आगणित करते हुए पेंशनरी लाभ दिये जाने की मांग की गयी है, का प्रतिवाद कृपया मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18.09.2023 के आधार पर करने का कष्ट करें।

भवदीय,
विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in